न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

उपस्थित–सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0)

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–657 / 2026

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010046472026

गुलशन पुत्र राजकुमार उर्फ पप्पू
सा0मौ0–तिलका बस्ती, बबुरी गांव, थाना बरसठी, जिला जौनपुर।
..... आवेदक / अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–198 / 2026
धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0।
थाना–बरसठी, जिला जौनपुर।

17.06.2026

आवेदक / अभियुक्त गुलशन द्वारा मु0अ0सं0–198 / 2026 धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0, थाना–बरसठी, जिला–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा चंद्रशेखर की पुत्री आचल उम्र लगभग 14 वर्ष दिनांक 28.05.2026 को समय लगभग 3 बजे घर से किसी कार्य हेतु निकली थी, लेकिन काफी खोजबीन की गयी, परन्तु उसका कहीं पता नहीं चल सका। वादी को पूर्ण संदेह है कि विपक्षी गुलशन वादी की पुत्री को बहला–फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। लड़के के फोन करने पर बोल रहा है कि मेरा ग्राम प्रधान मेरे पक्ष में है जो करना है कर लो। वादी को आशंका है कि उसकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। गुलशन के सपोर्टर अर्जुन है जो बोल रहे है कि कानूनी कार्यवाही करेगो तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को गलत एवं फर्जी ढंग से मुल्जिम बनाया गया है। आवेदक द्वारा न तो वादी मुकदमा की पुत्री को बहलाया, फुसलाया है न ही उसे अपने साथ कहीं ले गया है। आवेदक के पास से वादी मुकदमा की पुत्री बरामद नहीं हुयी है। गांव की गवई राजनीति में आकर आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त पर वादी मुकदमा की लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में की गयी है। पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में गुलशन गौतम से कुछ महीनों से बात करने व स्वयं अपनी मर्जी से घर से जाने जैसे कथन किया गया हैं तथा पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में यह भी कथन किया कि मैं गुलशन को पिछली 5–6 महीने से प्यार करती

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.06.18 16:27:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हूॅ। लगभग 1 माह पहले गुलशन ने मुझे गांव के मंदिर में बुलाया व हमने वहां शादी कर ली। हमारी शादी का घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूॅ। पीड़िता के द्वारा बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में स्वयं अपनी मर्जी से घर से जाने व गुलशन से शादी करने का कथन स्वीकार किया है तथा पीड़िता ने अभियुक्त के विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप बहला फुसलकार ले जाने अथवा कोई गलत काम करने का भी नहीं लगाया है। अभियुक्त दिनांक 04.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुणदोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गुलशन द्वारा मु0अ0सं0–198/2026 धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0, थाना–बरसठी, जिला–जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं उसके द्वारा मु0–50,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

<u>दिनांक 18.06.2026</u>
लोकेश कुमार/–

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।